

Order Sheet [Contd]

Case No 293/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
30-08-2017	<p>आवेदक/अभियुक्त सतेन्द्र की ओर से श्री भगवती राजौरिया अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर।</p> <p>आपत्तिकर्ता की ओर से श्री राकेश गुप्ता अधिवक्ता।</p> <p>अधीनस्थ जे.एम.एफ.सी. न्यायालय गोहद से प्र0क0 421/17 ई. फौ. शासन पु. मालनपुर वि0 सतेन्द्र का मूल अभिलेख प्राप्त।</p> <p>प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त सतेन्द्र की ओर से अधिवक्ता श्री राजौरिया द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना मालनपुर के द्वारा विरोधियों की झूठी रिपोर्ट के आधार पर झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक नवयुवक होकर अध्ययनरत छात्र है और अधिक समय तक निरोध में रहा तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उसका भविष्य खराब हो सकता है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तैयार है। अतः उसे उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>आपत्तिकर्ता की ओर से लिखित आपत्ति पेश कर आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि अभियोक्त्री घटना के समय 18 वर्ष से अधिक आयु की थी तथा अपनी सहमति से आरोपी के साथी गई है उससे विवाह किया है। साथ ही जिला चिकित्सालय भिण्ड का एक उम्र संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें जिला मेडीकल बोर्ड के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, उसमें अभियोक्त्री को दिनांक 18.07.17 को 18 वर्ष से अधिक आयु का होना दर्शाया गया है।</p>	

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर अभियोक्त्री का व्यपहरण करने का आरोप है। अभियोक्त्री ने धारा 164 सी.आर.पी.सी के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में आरोपी से पहचान होना, स्वयं आरोपी बुलाकर उसके साथ जाने संबंधी कथन किए हैं। इसी प्रकार धारा 161 जा0फौ0 के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में भी उक्त आशय के कथन रहे हैं। प्रकरण के साथ आरोपी एवं अभियोक्त्री का विवाह संबंधी घोषणापत्र संलग्न है।

अभियोक्त्री को घटना के समय 18 वर्ष से अधिक आयु का होना दर्शाया गया है। अभियोक्त्री अपनी सहमति से आरोपी के साथ जाने संबंधी कथन किये हैं। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियुक्त 19 वर्षीय नव युवक होकर दिनांक 04.08.17 से न्यायिक निरोध में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड, परिस्थिति को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 स्वीकार योग्य प्रतीत होने से स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से संबंधित क्षेत्राधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 30,000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

शर्त:-

1. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
 2. साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगा।
 3. जैसा अपराध किया है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
- आदेश की प्रति सहित केश मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को बापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
ए0एस0जे0 गोहद